

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स एम. के. एंटरप्राइजेज

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23948

17 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या जिलाधिकारी के पास उक्त समझौते को रद्द करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार था?
- क्या इस रद्दीकरण से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता को अनुबंध निरस्त करने से पूर्व अवसर न देना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा यह मनमानी का परिचायक है। इस आधार पर 23.10.2018 का जिला पदाधिकारी का आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है। (पैरा 15)

अनुबंध जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली खरीद समिति द्वारा दिया गया था, किंतु अभिलेख पर ऐसा कुछ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि जिला पदाधिकारी स्वयं अनुबंध रद्द करने के लिए सक्षम थे। (पैरा 16)

वर्तमान समय में वह योजना जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को अनुबंध दिया गया था, समाप्त हो चुकी है और आधिकारिक प्रतिवादी अनुबंध को पुनर्जीवित करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में आधिकारिक प्रतिवादियों पर लागत अधिरोपित करना उचित और न्यायोचित है, जिसे 2,00,000/(दो लाख रुपये) की राशि के रूप में याचिकाकर्ता को अदा किया जाएगा।(पैरा 17)

न्याय दृष्टान्त

यूएमसी टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. बनाम भारतीय खाद्य निगम, (2021) 2 एससीसी 551

अधिनियमों की सूची

कोई विशिष्ट अधिनियम उद्धृत नहीं

मुख्य शब्दों की सूची

सोलर स्ट्रीट लाइट्स, टेंडर रद्दीकरण, प्राकृतिक न्याय, मनमाना कार्य, जिलाधिकारी का अधिकार क्षेत्र, सार्वजनिक अनुबंध, खरीद समिति, अनुबंध निष्पादन, लागत आरोपण

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 23.10.2018 का आदेश, संलग्न ज्ञापांक संख्या 262-1, जिसके द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा ने दिनांक 08.08.2017 के अनुबंध को रद्द कर दिया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री लाल बाबू सिंह, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरदाता की ओर से: श्री दीपक सहाय जमुआर, ए.सी. टू ए.ए.जी.-4

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23948

=====

मेसर्स एम. के. एंटरप्राइजेज, अपने मालिक अशोक कुमार चोपड़ा, पिता- मंगल सिंह, गृह सं. 396, सेक्टर-37, अमरनगर, जिला-फरीदाबाद, राज्य-हरियाणा-121003, वर्तमान पता- एक्जिबिशन रोड चौराहा, आर. के. भट्टाचार्य रोड के समीप, थाना-कोतवाली, जिला और शहर- पटना-800001 के माध्यम से।

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. उप निदेशक, योजना और विकास विभाग, पटना
4. जिला दंडाधिकारी, सहरसा
5. जिला योजना अधिकारी, सहरसा

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री लाल बाबू सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री दीपक सहाय जमुआर, ए. सी से ए. ए. जी. 4

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी ए वी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

दिनांक : 17-05-2023

दिनांक 18.04.2023 के पिछले आदेश के पहले कंडिका में निहित निर्देश के अनुपालन में, जिसके द्वारा संयुक्त निबंधक (सूची), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था, जो दिनांक 04.04.2023 के विशिष्ट आदेश के बावजूद, उस दिन इस मामले को सूचीबद्ध नहीं करने में शामिल थे जिसमें जिला दंडाधिकारी, सहरसा को निर्देश दिया गया था कि वे पूर्ण अभिलेख के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और अगली तारीख को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, संयुक्त निबंधक (सूची) ने प्रस्तुत किया है कि मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए विद्वान महानिबंधक के समक्ष रखा गया है।

2. इन परिस्थितियों में, विद्वान महानिबंधक को तीन महीने के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया हैः.

“(i) ज्ञापन सं. 262-1 में निहित दिनांक 23.10.2018 आदेश को रद्द करने के लिए जिसके द्वारा और जिसके तहत उत्तरदाता सं. 4, जिला दंडाधिकारी,

सहरसा ने दिनांक 08.08.2017 के समझौते को रद्द कर दिया है।

((ii) उत्तरदाताओं को समझौते की अवधि बढ़ाने का निर्देश देने के लिए ताकि याचिकाकर्ता समझौते के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन कर सके।

((iii) उत्तरदाताओं को सौर लैम्पों की स्थापना के लिए स्थानों की सूची याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करने का निर्देश देने के लिए।

((iv) ज्ञापन सं. 262-1 में निहित दिनांक 23.10.2018 के समझौते को रद्द करने के आक्षेपित आदेश पर इस तरह कार्रवाई न करने का निर्देश देने के लिए, जैसे कि यह कभी मौजूद ही नहीं था।

((v) यह घोषणा करने के लिए कि-

(क) ज्ञापन सं. 262-1 में निहित दिनांक 23.10.2018 का आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर है और इस तरह, कानून की नजर में अमान्य है।

(ख) उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी के पास समझौते को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(ग) उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी, सहरसा केवल इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 द्वारा पारित आदेश के आलोक में 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 के माध्यम से रिट याचिका में उल्लिखित याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के लिए बाध्य था और समझौते को रद्द करना जो उक्त रिट याचिका में कभी भी मुद्दा नहीं था, अधिकार क्षेत्र से बहार है और दिनांक 23.10.2018 का

आक्षेपित आदेश माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए बनाया गया है।

(घ) पक्षकारों के बीच समझौते के निष्पादन के बाद उत्तरदाताओं को दर का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और दर, समझौते के नियम और शर्तें पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं।

(ङ) याचिकाकर्ता को समझौते को रद्द करने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इस प्रकार, दिनांक 23.10.2018 का आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

(च) दिनांक 23.10.2018 का आक्षेपित आदेश मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है और 2018 के इस माननीय न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 23948 में पारित निर्देश को विफल करने के लिए बनाया गया है।

2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2018 के अनुसार।

(vi) किसी अन्य राहत या परिणामी राहत के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के अनुसार, संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं ने सोनबरसा में 10 इकाइयों, पातरघाट में 9 इकाइयों, बनमा इटहरी में 9 इकाइयों में सोलर सेमी हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट्स (इसके बाद "सोलर लाइट्स" के रूप में संदर्भित) की आपूर्ति और स्थापना के लिए विज्ञापन जारी किया था। उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता ने

अन्य पांच बोली लगाने वालों के साथ निविदा में भाग लिया। इसके बाद, उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय समिति/निविदा समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें याचिकाकर्ता तकनीकी बोली में योग्य था और बाद में, वह वित्तीय बोली में भी योग्य था और तदनुसार, याचिकाकर्ता को सौर लाइट की स्थापना के काम के लिए चुना गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने 3,85,000/- रुपये प्रति इकाई उद्धृत की थी जो सबसे कम पाई गई। इसके बाद, पत्र सं. 842-2 दिनांक 08.08.2017, के माध्यम से उत्तरदाता सं. 5 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसे उपरोक्त कार्य के लिए चुना गया है और याचिकाकर्ता को समझौता करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 08.08.2017 को, याचिकाकर्ता और उत्तरदाता सं. 5 के बीच सहरसा में 28 फोर आर्म सोलर सेमी हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए 3,85,000/- रूपए प्रति इकाई की दर से समझौता निष्पादित किया गया था। समझौते के निष्पादन के बाद, याचिकाकर्ता ने इस कार्य के लिए फिलिप्स कंपनी से कच्चे माल/उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 36,00,000/- रूपए (छत्तीस लाख) का आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता जिला योजना अधिकारी से मौखिक रूप से और साथ ही लिखित रूप में कई बार अनुरोध किया कि उन्हें सोलर लाइट लगाने के लिए स्थानों की सूची प्रदान की जाए, लेकिन दुर्भाग्य से, उत्तरदाता स्थानों की सूची प्रदान करने में विफल रहा। सोलर लाइट्स की स्थापना के लिए स्थानों की सूची प्रदान करने के स्थान पर, उत्तरदाता जिला योजना अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दिनांक 06.02.2018 को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में विभाग से एक निर्देश मांगा गया है और विभाग से इस तरह के निर्देश प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जब उत्तरदाता सौर लाइट की स्थापना के लिए स्थानों की सूची प्रदान करने में विफल रहा, तो याचिकाकर्ता इस उच्च न्यायालय में 2018 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 दायर करने के लिए विवश था और उसने उत्तरदाता सं. 3 को निर्देश देते हुए आदेश की प्रकृति में रिट जारी करने का अनुरोध किया कि वह जिला-सहरसा में

सौर अर्ध उच्च मास्ट स्ट्रीट लाइट स्थापित करने के लिए स्थानों की सूची प्रदान करे क्योंकि इस सम्बन्ध में समझौता पहले से ही कर चुका है और स्थापना केवल स्थानों की ऐसी सूची प्रदान नहीं करने के कारण लंबित थी। इसके अलावा उत्तरदाता सं. 3 की ओर से गलती के कारण समझौते के समय के कारण समझौते की अवधि को और तीन महीने के लिए बढ़ाने के लिए परमादेश के रूप में रिट/रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा उत्तरदाता प्राधिकारी को इस याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण हुए 36 लाख रुपये के निवेश और काम नहीं करने के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए रिट/रिट जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। 2018 के उपरोक्त सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका में उल्लिखित अपनी शिकायतों के संबंध में उत्तरदाता सं. 2 (उत्तरदाता सं. 4) के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गयी थी और उत्तरदाता सं. 2 को इसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा इसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 28.09.2018 को, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता सं. 4 के समक्ष दिनांक 17.09.2018 के उपरोक्त आदेश के आलोक में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उत्तरदाता जिला योजना अधिकारी को सौर लाइट की स्थापना के लिए स्थानों की सूची प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने समझौते में समय का विस्तार प्रदान करने का भी अनुरोध किया। लेकिन दुर्भाग्य से, उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी ने रिट याचिका में उल्लिखित याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार किए बिना अनुबंध-9 के रूप में संलग्न ज्ञापन सं. 262-1, दिनांक 23.10.2018 के माध्यम से समझौते को रद्द कर दिया। उत्तरदाता प्राधिकारी की कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट दायर की।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उत्तरदाता जिला योजना

अधिकारी का दिनांक 23.10.2018 का उपरोक्त पत्र बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक बार पक्षों के बीच समझौते को निष्पादित करने के बाद, पक्षों के लिए एकमात्र कार्य समझौते के अनुसार संविदात्मक दायित्वों का पालन करना है और समझौते के नियमों और शर्तों के संबंध में समझौते के निष्पादन के बाद निर्देश लेने का कोई अवसर नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सौर लाइटों की स्थापना के लिए स्थानों की सूची प्रदान नहीं करने के कारण, याचिकाकर्ता समझौते के अनुसार सौर लाइटें नहीं लगा सका क्योंकि याचिकाकर्ता का दायित्व पूरी तरह से उत्तरदाताओं के पारस्परिक दायित्व पर निर्भर था और स्थानों के आवंटन और सीमांकन के बिना, याचिकाकर्ता अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं कर सका। इस बीच, उत्तरदाताओं की ओर से लापरवाही के कारण कार्य के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को रिट याचिका में उल्लिखित अपनी शिकायत के संबंध में अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया और उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी को रिट याचिका में उल्लिखित याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में अभ्यावेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया और इस तरह, उत्तरदाता सं. 4 को केवल रिट याचिका में उल्लिखित याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से, उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी ने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के समझौते को रद्द कर दिया जो रिट याचिका में बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी के पास समझौते को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह न तो 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 के माध्यम से रिट याचिका में कोई मुद्दा था और न ही जिला दंडाधिकारी को समझौते को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र मिला है। जिला दंडाधिकारी समझौते में पक्षकार नहीं है और न ही यह समझौता जिला दंडाधिकारी को समझौते को रद्द करने के लिए कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे

कहा कि याचिकाकर्ता को समझौते को रद्द करने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इस तरह, समझौते को रद्द करना प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि समझौते को रद्द करने का आदेश दुर्भावनापूर्ण, मनमाना है और 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 17.09.2018 के निर्देश/आदेश को विफल करने के लिए बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सोलर लाइट्स की स्थापना के संबंध में अन्य जिलों की दर को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी द्वारा समझौते को रद्द कर दिया गया था। समझौते को रद्द करने का आधार भी मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि उत्तरदाताओं को अन्य जिलों की दर को ध्यान में रखने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिला है, विशेष रूप से वर्तमान परिस्थिति में जब दर पर उत्तरदाताओं सहित सभी पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और समझौते को पहले ही उस दर पर निष्पादित किया जा चुका है और समझौते के बाद दर का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है, बल्कि समझौते में सहमत और उल्लिखित दर पक्षों पर बाध्यकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत दर सबसे कम और सबसे अधिक उत्तरदायी पाई गई और स्वयं उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय समिति/निविदा समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया और उसके बाद, उस दर पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया और समझौते को निष्पादित किया गया और इसलिए, पक्षों द्वारा सहमत दर पक्षों पर बाध्यकारी है और अन्य जिलों के साथ दर की तुलना पर समझौते को रद्द करने की कार्रवाई का आधार अत्यधिक मनमाना, अनुचित और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समझौते को रद्द करने का आधार समझौते के नियमों और शर्तों से परे है और समझौते को रद्द करने को सही ठहराने के लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं है।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई को

उचित ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने सौर लाइटों की आपूर्ति के लिए अन्य जिलों की तुलना में उच्च दर उद्धृत की है, क्योंकि अन्य जिलों में दरें 2,96,000/-रुपये, 2,73,000/-रुपये और 1,74,000/- रुपये उद्धृत की गई थी जबकि याचिकाकर्ता ने 3,85,000/-रुपये की दर उद्धृत की थी और इस कारण से, उत्तरदाता -प्राधिकरण ने केवल एन. आई. टी. के खंड 7 के संदर्भ में समझौते को रद्द कर दिया है। इसलिए, इस मामले में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और पक्षों की प्रस्तुतियों पर आगे विचार करने के बाद, यह माना जाता है कि पक्षों ने 08.08.2017 को सहरसा जिले में 28 फोर आर्म सोलर सेमी हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए 3,85,000/- रुपये प्रति यूनिट की दर से समझौता किया है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कई बार अधिकारियों से सौर लाइट की स्थापना के लिए स्थानों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया। लेकिन, जब उत्तरदाता स्थानों की सूची प्रदान करने में विफल रहा, तो याचिकाकर्ता ने इस उच्च न्यायालय में 2018 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 दायर किया, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका में उल्लिखित अपनी शिकायतों के बारे में उत्तरदाता सं. 2 (उत्तरदाता सं. 4) के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया और उत्तरदाता सं. 2 को इसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा इसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त स्वतंत्रता के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने 28.09.2018 को एक अभ्यावेदन दायर किया। लेकिन उत्तरदाता जिला दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया और दिनांक 23.10.2018 के ज्ञापन सं. 262-1 के माध्यम से समझौते को भी रद्द कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं को समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए थी, यदि उनका इरादा निविदा और

अन्य कार्यवाही को रद्द करना था। दूसरी ओर, उन्होंने निविदा प्रक्रिया को अचानक रद्द कर दिया है।

9. दिनांक 18.04.2023 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

“इस मामले को सुनवाई के लिए भेजा गया था। इसलिए, कोर्ट मास्टर को फाइल को सुरक्षित करने के लिए कहा गया। संयुक्त निबंधक (सूची), पटना उच्च न्यायालय, पटना को इसके द्वारा उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाता है जो दिनांक 04.04.2023 के विशिष्ट आदेश के बावजूद आज इस मामले को सूचीबद्ध नहीं करने में शामिल हैं, जिसके तहत जिला दंडाधिकारी, सहरसा को पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत उपस्थिति के मामले को सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। की गई कार्रवाई की सूचना सुनवाई की अगली तारीख को दी जाएगी।

02. दिनांक 04.04.2023 के पिछले आदेश के अनुसार, श्री वैभव चौधरी, जिला दंडाधिकारी, सहरसा, मामले में सहायता करने के लिए अदालत में मौजूद हैं।

03. प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है। उनके कार्य आदेश को समझौते के निष्पादन के बाद केवल समझौते में लगाए गए खंड के साथ पठित निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एन. आई. टी.) के खंड-7 के संदर्भ में रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्य आदेश को रद्द करने का एकमात्र कारण यह है कि उसने अन्य

जिलों की तुलना में सौर लाइटों की आपूर्ति के लिए उच्च दर का हवाला दिया है। यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि अन्य जिलों में दरें 2,96,000/- रुपये, 2,73,000/- रुपये और 1,74,000/- रुपये उद्धृत की गई थीं, जबकि याचिकाकर्ता ने 3,85,000/- रुपये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक उच्च कीमत पर है, लेकिन साथ ही, सभी निष्पक्षता में, याचिकाकर्ता एक सफल बोली लगाने वाला था और समझौते को निष्पादित किया गया है। संबंधित प्राधिकरण को इसे रद्द करने के बजाय अन्य जिलों के समान सौर लाइटों की आपूर्ति का प्रस्ताव देना चाहिए था।

04. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को एतद्वारा याचिकाकर्ता/उसके मुवक्किल से यह निर्देश प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया कि क्या वह अन्य जिलों के समान 2,96,000/- रुपये की दर से सौर लाइटों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है या नहीं। इसी तरह, क्या सरकारी-उत्तरदाता याचिकाकर्ता को समान रूप से स्थित जिलों के बराबर सौर लाइटों की आपूर्ति में समायोजित कर सकते हैं, दूसरे जिले में सफल बोली लगाने वाले ने 2,96,000/- रुपये की दर से सौर लाइटों की आपूर्ति की है।

05. हमने यह भी देखा है कि रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक-9 दिनांक 23.10.2018 का एक दस्तावेज है, जिस पर जिला दंडाधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस दस्तावेज में निहित आदेश 2018 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4239 के संदर्भ में पारित किया गया है। अब जिला

दंडाधिकारी, सहरसा द्वारा इस न्यायालय के अवलोकन के लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है और इस दस्तावेज, जिसमें वही आदेश है, पर जिला दंडाधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सदस्यों वाली समिति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन विषय वस्तु एक समान हैं। जिला दंडाधिकारी, सहरसा को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके इस मुद्दे को सत्यापित करने और सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है।

06. इस मामले को 02.05.2023 को फिर से सूचीबद्ध किया जाये।

07. यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह मामला पिछले पांच वर्षों से विचाराधीन है।”

10. उपरोक्त आदेश दिनांक 18.04.2023 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 28.04.2023 को एक पूरक हलफनामा दायर किया है। जिसके अनुच्छेद सं. 3, 4 और 5 में निम्नानुसार बताया गया है:

“3. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सौर लाइटों की आपूर्ति और स्थापना के लिए प्रत्येक जिले में सामग्री और कार्यों के विनिर्देश अलग-अलग हैं। वर्तमान कार्य के विनिर्देश पहले ही समझौते में दिए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता ने कार्य के विनिर्देशों के आधार पर 3,85,000/- रुपये प्रति इकाई की दर से अपनी दर उद्धृत की, जिस पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और तदनुसार समझौते को निष्पादित किया गया था। विभिन्न जिलों में विनिर्देशों के अनुसार दर भिन्न हो सकती है।

4. हालाँकि, याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय द्वारा 18.04.2023 को पारित आदेश के अनुसार और वर्तमान कार्य में याचिकाकर्ता के भारी निवेश को देखते हुए 2,96,000/- रुपये की दर से काम करने के लिए तैयार है। ।

5. तथ्यों और परिस्थितियों अनुसार और इस माननीय न्यायालय के दिनांक 18.04.2023 आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता 2,96,000/- रुपये की दर से काम करने के लिए तैयार है।"।

11. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, जिला दंडाधिकारी, सहरसा ने दिनांक 29.04.2023 को व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर किया है। अनु. 4 में इसे इस प्रकार बताया गया है:

"4. इस संबंध में यह कहा गया है कि अनुलग्नक सं 09 जो दिनांक 23.10.2018 को जारी किया गया था, जिला दंडाधिकारी, सहरसा द्वारा हस्ताक्षरित है जो सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239/2018 के संदर्भ में है और इसी तरह जिला दंडाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 18/04/2023 को सुनवाई के दौरान अवलोकन के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, जिस पर जिला न्यायाधीश, उप विकास आयुक्त, जिला योजना अधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर हैं जिसकी विषय वास्तु भी सामान है। यहाँ यह विनम्रता से निवेदन किया जाता है कि आधिकारिक कार्य प्रक्रिया में पत्र या आदेश दो शीर्षों कार्यालय प्रतिलिपि और अंतिम प्रतिलिपि में तैयार किए जाते हैं। कार्यालय की प्रति पर सभी संबंधित अधिकारियों और सहायकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जबकि अंतिम प्रति पर संबंधित अंतिम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

माननीय न्यायाधीश के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया पत्र कार्यालय की प्रति थी जिस पर जिला दंडाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला योजना अधिकारी सहरसा के हस्ताक्षर थे। जबकि एकल हस्ताक्षर वाला दस्तावेज़ अंतिम प्रति है जिसमें केवल एक अधिकारी यानी जिला दंडाधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर हैं।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता 2,96,000/- रुपये प्रति इकाई की दर से सौर लाइटों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। लेकिन जिला दंडाधिकारी, सहरसा, जो पिछले अवसर पर इस अदालत के समक्ष उपस्थित थे, ने कहा कि सौर लाइटों की स्थापना की योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में ही बंद कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को 2,96,000/- रुपये प्रति इकाई की दर से सौर लाइटें प्रदान करने की अनुमति देना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह निविदा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जारी की गई थी, जिसके बाद संबंधित विधानसभा के विधायक द्वारा कुल 28 फोर आर्म सौर लाइटें लगाने की सिफारिश की थी।

13. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता फोर आर्म सोलर लाइट्स की स्थापना के लिए सफल बोली लगाने वाला था और उसे क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सहरसा जिले के जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुबंध दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता और जिला योजना अधिकारी द्वारा समझौता किया गया और उक्त समझौते में यह शर्त थी कि समझौते की शर्तों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा जिला दंडाधिकारी-सह-अध्यक्ष, क्रय समिति, सहरसा के समक्ष किया जाएगा। इसके बाद, मूल्य निर्धारण को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया कि विभिन्न जिलों में लगाए जाने वाले सौर लाइटों की कीमत में बहुत अंतर था। इससे पहले,

याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में 2018 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4239 दायर करके आवेदन किया था, जिसका निपटान दिनांक 17.09.2018 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता सं. 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है और उत्तरदाता सं. 2 इसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा इसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, यह भी प्रतीत होता है कि उक्त रिट याचिका जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहरसा को उन स्थलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की गई थी जहां सौर लाइटों लगाई जानी थी। हालाँकि, जिला दंडाधिकारी, सहरसा ने अपने निष्कर्ष को दर्ज किया कि विभिन्न जिलों में सौर लाइटों की स्थापना की दरों में बहुत अंतर है और यदि याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान होगा। इन परिस्थितियों में, जिला दंडाधिकारी, सहरसा अनुबंध को रद्द करने के लिए आगे बढ़े और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया।

14. दिनांक 23.10.2018 आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को अपने अनुबंध को रद्द करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने सौर लाइटों की स्थापना के लिए साइट प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन किया था जैसा कि दिनांक 23.10.2018 आदेश के पहले कंडिका से स्पष्ट है जो संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

समाहरणालय, सहरसा

(जिला योजना कार्यालय, सहरसा)

आदेश

एम.के. इंटर प्राईजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय

में सी डब्ल्यू आई सी सं. 4239/2018 दाखिल किया गया। रिट याचिका में आवेदनकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदनकर्ता एवं जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा के बीच निष्पादित एकरारनामा के आधार पर जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा को चार बांह वाले सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थलों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका का निष्पादन करते हुए दिनांक 25.09.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता सं. 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर कर सकता है और प्रतिवादी सं. 2 उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा इसका निपटारा करेगा।

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आदेश पारित किया जा रहा है।

माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा के द्वारा, चार बांह वाले सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में दिनांक 20.05.2017 को निविदा आमंत्रित की गई। दिनांक 03.07.2017 को निविदा का निष्पादन किया गया, जिसमें एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना का दर मो. 3,85,000/- (रुपये तीन लाख पचासी हजार) न्यूनतम पाया गया। निविदा में न्यूनतम दर होने के आधार पर दिनांक 08.08.2017 को एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना के साथ एकरारनामा किया गया। परंतु कार्यादेश निर्गत नहीं हुआ।

कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व ज्ञात हुआ कि सामान विविधताएँ के चार बांह

वाले सोलर स्ट्रीट लाइट का दर बक्सर जिला में मो. 2,96,663/- (दो लाख छियानबे हजार छह सौ तिरसठ), कैमूर (भभुआ) में 2,72,000/- (दो लाख बहत्तर हजार) रु. एवं समस्तीपुर जिले में 1,71,954/- (एक लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चौवन) रु. निर्धारित है, जबकि सहरसा में न्यूनतम दर मो. 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) पाया गया। विभिन्न जिलों के दरों में अत्यधिक अंतर के कारण प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना से पत्रांक 1044-2/जि. यो. दिनांक 17.10.2017 द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गयी। इस पत्र की प्रति एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना को भी प्रेषित की गई। तत्पश्चात विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्रांक 1161-2/ जि. यो. दिनांक 20.11.2017 से पुनः मार्गदर्शन की मांग की गई।

इसी बीच एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना द्वारा चार बांह वाले सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थलों की सूची की मांग की जाती रही, जिस सम्बन्ध में उन्हें पत्रांक 1214-2/ जि. यो. दिनांक 30.11.2017 द्वारा विभाग से मार्गदर्शन मांगे जाने, सम्बन्धी सूचना दी गयी। पूर्व में भी विभाग से मांगी गयी मार्गदर्शन सम्बन्धी पत्र की प्रति एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना को दी गई थी।

पुनः पत्रांक 36-1 दिनांक 06.02.2018 एवं 86-1 दिनांक 13.03.2018 द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्र० सचिव, योजना एवं विकास विभाग को स्मारित किया गया।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना की दिनांक 19.02.2018 एवं 20.02.2018 को सम्पन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन सम्बन्धी योजना पर अग्रेतर कार्रवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

विभाग से मांगी गई मार्गदर्शन में संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग,

बिहार पटना के पत्रांक 1088 दिनांक 06.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय पत्रांक 1929 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में कार्यवाही की जाय। उक्त पत्र में अन्य जिलों एवं इस जिले के दर में भिन्नता के संबंध में अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

विभाग द्वारा दिए गए निर्देश में दर भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण पुनः पत्रांक 80-1/ जि. यो. दिनांक 13.03.2018 द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन की मांग की गई जो सम्प्रति अप्राप्त है।

इस बीच ए.ए.जी.-4 द्वारा सी डब्ल्यू जे सी सं. 4239/2018 दाखिल होने की सूचना दी गई एवं इससे संबंधित एस ओ एफ दाखिल करने का निर्देश प्राप्त हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण अग्रेतर कार्रवाई स्थगित रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामान विशिष्टताएं के चार बांह वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की कीमत बक्सर जिला में मो. 2,96,663/- (दो लाख छियानबे हजार छह सौ तिरसठ), कैमूर (भभुआ) में 2,72,000/- (दो लाख बहतर हजार) रु. एवं समस्तीपुर जिला में 1,71,954/- (एक लाख इकहतर हजार नौ सौ चौवन) रु. है। एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना द्वारा सहरसा जिले के लिए प्रस्तुत दर मो. 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रु. है। इस प्रकार सहरसा जिले एवं अन्य जिलों के दर में काफी भिन्नता है। इस स्थिति में एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना द्वारा प्रस्तुत दर पर चार बांह वाले सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय में बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि होगी। यह कार्य वित्तीय अनुशासन के अनुरूप भी नहीं होगा तथा भविष्य में वित्तीय अनियमितता का आधार बन सकता है। एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना के साथ दिनांक 08.08.2017 को

निष्पादित एकरारनामा में प्रावधानित है कि एकरारनामा के अनुपालन में उत्पन्न विवादों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष किया जाएगा। विभिन्न जिलों एवं सहरसा हेतु प्रस्तुत दर में काफी भिन्नता होने के कारण एकरारनामा में वर्णित शर्तों के आलोक में एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना एवं जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा के बीच दिनांक 08.08.2017 को निष्पादित एकरारनामा को रद्द किया जाता है तथा एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जाता है।

इसकी सूचना संबंधित को दी जाती है।

ह० /-

जिला पदाधिकारी

सहरसा

दिनांक : 23/10/18

ज्ञापांक 262-1/जि.यो.

प्रतिलिपि :- एम.के. इंटरप्राइजेज, एग्जीबिशन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को

सूचनार्थ प्रेषित।

ह० /-

जिला पदाधिकारी

सहरसा

दिनांक : 22/10/18

15. अपने अनुबंध को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान नहीं करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और साथ ही इसमें मनमानी की बू भी आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यू. एम. सी. टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारतीय खाद्य निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 551** के मामले में अनुच्छेद में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“13. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सभ्य न्यायशास्त्र का पहला सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी है या जिसका अधिकार या हित प्रभावित हो रहे हैं, उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि निर्णय शुरू होने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को उसके खिलाफ मामले की सूचना देनी चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके। इस तरह की सूचना पर्याप्त होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए आवश्यक आधार और प्रस्तावित जुर्माना/कार्रवाई का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नोटिस की सीमा से परे जाने वाला आदेश उस सीमा तक अस्वीकार्य है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस न्यायालय ने नासिर अहमद बनाम महासंरक्षक, निष्क्रांत संपत्ति [नासिर अहमद बनाम महासंरक्षक,

निष्क्रांत संपत्ति, (1980) 3 एस. सी. सी. 1] मामले में यह माना है कि नोटिस में उन विशेष आधारों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिनके आधार पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता को उसके खिलाफ मामले का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सुनवाई का कोई उचित अवसर दिया गया है।

इस आधार पर, जिला दंडाधिकारी, सहरसा का दिनांक 23.10.2018 आदेश कानून की दृष्टि में अनुचित है।

16. इस मामले का एक और पहलू यह है कि क्या जिला दंडाधिकारी को समझौते को रद्द करने की शक्ति मिली है। माना जाता है कि अनुबंध जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय समिति द्वारा दिया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि जिला दंडाधिकारी स्वयं अनुबंध को रद्द करने के लिए सक्षम थे। सुनवाई के दौरान, आधिकारिक फाइल से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जो दर्शाता है कि दिनांक 23.10.2018 एक अन्य दस्तावेज, जिसकी विषय-वस्तु अनुलग्नक-9 के समान थी, पर जिला दंडाधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला योजना अधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर थे। अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके, जिला दंडाधिकारी, सहरसा ने आधिकारिक कार्य प्रक्रिया में अलग-अलग हस्ताक्षर वाले दो दस्तावेजों की तैयारी को पारित करने की कोशिश की है, जिसमें कहा गया है कि पत्र या आदेश दो शीर्षों में तैयार किए जाते हैं, अर्थात् कार्यालय की प्रति और अंतिम प्रति। कार्यालय की प्रति पर सभी संबंधित अधिकारियों और सहायकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जबकि अंतिम प्रति पर संबंधित अंतिम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस तरह से विसंगति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यदि जिला दंडाधिकारी के इस

तर्क को स्वीकार किया जाये, तो इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए कि कार्यालय की प्रति पर तीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि अंतिम प्रति पर अंतिम प्राधिकारी, वर्तमान मामले में, जिला दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसी कोई व्याख्या सामने नहीं आ रही है। हालाँकि, यह विसंगति वर्तमान में हमारी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या जिला दंडाधिकारी के पास अनुबंध को रद्द करने की क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुबंध का खंड जिला दंडाधिकारी द्वारा खरीद समिति के अध्यक्ष के रूप में विवाद के निपटारे का प्रावधान करता है, लेकिन वर्तमान मामला निपटान प्राधिकरण द्वारा किसी भी विवाद के समाधान के लिए नहीं है, बल्कि यह अनुबंध को रद्द करने का है और यदि अनुबंध जिला क्रय समिति द्वारा दिया गया था, तो इस सम्बन्ध में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में इसे उसी समिति द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी तरह से, जिला दंडाधिकारी को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार नहीं था।

दोनों ही मामलों में, दिनांक 23.10.2018 का आदेश टिकने योग्य नहीं है।

17. हालाँकि, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इस समय जिस योजना के तहत याचिकाकर्ता को अनुबंध दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया है और आधिकारिक उत्तरदाता पक्षों द्वारा किए गए अनुबंध को पुनर्जीवित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, दिनांक 23.10.2018 के आदेश को रद्द करने पर भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही, उत्तरदाता सं. 4 ने मनमाने और अवैध कृत्य से याचिकाकर्ता को ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया है कि उसके पास दो अवसरों पर अपनी शिकायत के निवारण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन परिस्थितियों में, आधिकारिक उत्तरदाताओं पर आज से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने वाले 2,00,000/- (दो लाख) रुपये का जुर्माना लगाना

उचित और न्यायोचित है, जिसमें विफल रहने पर उत्तरदाता सं. 4 द्वारा याचिकाकर्ता को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। लागत का अधिरोपण इन कारणों से किया जाता है कि याचिकाकर्ता सफल बोली लगाने वाला था, समझौता निष्पादित किया गया था, याचिकाकर्ता ने सामग्री पर निवेश किया था और उसे दो रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

18. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी. के. पांडे/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।